तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसीः16763

प्रकाशन हेतु अनुमोदित नहीं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकार) क्रमांक 68/2013

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, दुकान क्रमांक 345-347, गंगा शॉपिंग, माता के पास, जी. ई. रोड, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

---- अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. श्रीमती विमला बाई मानिकपुरी पति स्वर्गीय श्री प्रमोद दास मानिकपुरी, आयु लगभग 26 वर्ष,

2. कुमारी गायत्री आत्मजा स्वर्गीय श्री प्रमोद दास मानिकपुरी, आयु लगभग 07 वर्ष,

   प्रत्यर्थी क्रमांक 2 नाबालिग होने के कारण उसकी मां श्रीमती विमला बाई के माध्यम से (अब मृत) का प्रतिनिधित्व श्रीमती सोनारिन बाई पति स्वर्गीय श्री फगवादास मानिकपुरी से किया जा रहा है, आयु लगभग 67 वर्ष,

   सभी निवासी-गांव मोरधा, थाना महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

   वर्तमान निवासी- गाँव दत्तैया, थाना फ़िंगेश्वर, तहसील राजिम, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. श्री कुशाराम साहू आत्मज परमानंद साहू, आयु लगभग 32 वर्ष है, निवासी-गाँव चिंगरोढ़, थाना, तहसील और जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ । **(वाहन चालक)**

4. राजधेश्याम सैनिक आत्मज श्री भरत लाल सैनिक, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी - वार्ड क्रमांक 12, पुराना रावण भाटा, महासमुंद, थाना, तहसील और जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ । **(स्वामी)**

---- प्रत्यर्थीगण

आवेदक के लिए	:	श्री अमृतो दास, अधिवक्ता।
उत्तरदाता क्रमांक 1 और 2 के लिए	:	कोई नहीं।
प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के लिए	:	श्री सुनील साहू, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र 4 के लिए	:	श्री शिवेंदु पांड्या, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतिम साहू

पीठ पर निर्णय

18/07/2018

1. अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा वर्तमान अपील अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गरियाबंद, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (जिसे इसके बाद 'दावा अधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 48/2010 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 25/08/2012 की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान दावा अधिकरण ने रु.3,27,200/- का अधिनिर्णय पारित किया है और बीमा कंपनी पर दायित्व अधिरोपित किया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21/04/2010 को, जिसका पंजीयन क्रमांक सी.जी.04/डी.एम./2663 वाला ट्रैक्टर और उसके साथ वाली ट्रॉली (दुर्घटना

करित करने वाला वाहन) जिसका पंजीयन क्रमांक सी.जी.04/डी.एम./2664 को प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा उपेक्षा और उतावलेपन से चलाया गया था, जिसके कारण, ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली पलट गई और सड़क पर खड़ा मृतक प्रमोद दास मानिकपुरी उसके नीचे आ गया। उक्त दुर्घटना के कारण प्रमोद दास मानिकपुरी की मौके पर ही मौत हो गई। सागर दास नामक व्यक्ति द्वारा संबंधित थाना को मामले की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 3 के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 304-क के प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया गया था। दावेदार अर्थात मृतक की पत्नी/प्रत्यर्थी क्रमांक-1 और मृतक की बेटी ने प्रमोद दास मानिकपुरी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर प्रतिकर के रूप में कुल मिलाकर रु.32,00,000/- का दावा करते हुए एक दावा आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी और वह प्रति दिन रु.250 कमाता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4, जो उल्लंघनकारी वाहन के चालक और स्वामी हैं, ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और दावा आवेदन में की गई दलीलों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि यह साबित हो जाता है कि दुर्घटना करित करने वाला वाहन से दुर्घटना हुई है, तो प्रतिकर के भुगतान का दायित्व अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर है क्योंकि दुर्घटना की तारीख पर, ट्रैक्टर और ट्रॉली का अपीलार्थी/बीमा कंपनी के द्वारा विधिवत बीमा किया गया था।

4. अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने दावा आवेदन पर अपना जवाब प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि दुर्घटना के समय, दुर्घटना करित करने वाला वाहन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और मृतक वाहन पर यात्री के रूप में सवार था। यह भी अनुरोध किया गया कि दुर्घटना की तारीख को प्रतिवादी क्रमांक-3 (चालक) के पास वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञपत्ति नहीं था, इसलिए बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया था।

5. विद्वान दावा अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचन, साक्ष्य और सामग्री के आधार पर उत्तरदाता क्रमांक 1 और 2 के पक्ष में अधिनिर्णय पारित किया। उक्त अधिनिर्णय को अपीलार्थी द्वारा विविध अपील क्रमांक 1007/2011 में इस माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने तर्क किया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक ट्रैक्टर की ट्रॉली पर यात्रा कर रहा था और इसलिए बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा पहले की अपील में उठाए गए आधारों को देखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13/02/2012 के माध्यम से बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में विवाद्यक तैयार करने के बाद दावे के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने और निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान दावा अधिकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया और उसके बाद पक्षकारों को और साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, अभिवचनों में संशोधन करने और दस्तावेज दाखिल करने के लिए कहा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विद्वान दावा अधिकरण ने बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में दिनांक 03/04/2012 को अतिरिक्त विवाद्यक तैयार किया है और उसके बाद संबंधित पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला को दिनांक 28/04/2012 को नियत किया।

7. विद्वान दावा अधिकरण ने अतिरिक्त विवाद्यक के साथ मामले पर नए सिरे से विचार करने के बाद दिनांक 25/08/2012 को पक्षकारों को सुनने के बाद आक्षेपित निर्णय पारित किया, जिससे विद्वान दावा अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा जारी दुर्घटना की तारीख को

वैध पॉलिसी के अस्तित्व को देखते हुए, उस पर प्रतिकर के भुगतान के लिए ₹3,27,200 का दायित्व अधिरोपित किया।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि प्रतिवादी क्रमांक-3 के खिलाफ दुर्घटना दिनांक 21/04/2010, जिसके परिणामस्वरूप प्रमोद दास मानिकपुरी की मृत्यु हुई थी, के संबंध में दर्ज आपराधिक मामले में प्रस्तुत दस्तावेज़ के अलावा दावेदारों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, मर्ग सूचना, देहाती नालिशी और इस दस्तावेज़ अर्थात अंतिम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है मृतक ट्रैक्टर पर यात्रा कर रहा था और उन दस्तावेजों को साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि दुर्घटना को दिखाने के लिए दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के बाद इसकी सभी सामग्री को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेमलता शुक्ला और अन्य ने 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3591** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 और 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से कहा कि मृतक ट्रैक्टर पर यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि वह सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था और प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के उतावलेपन और उपेक्षा से गाड़ी चलाने के कारण, वह पलट गया और मृतक ट्रॉली के नीचे आ गया। उन्होंने आगे कहा कि (एन. ए. डब्ल्यू.-2) सागर दास, जिनकी जानकारी पर देहाती नालिशि को दुर्घटना के तुरंत बाद पंजीकृत किया गया था, ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि मृतक दुर्घटना करित करने वाला वाहन अर्थात ट्रॉली पर यात्रा कर रहा था, जो प्रदर्श-पी/4 से स्पष्ट है और वह चश्मदीद गवाह नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि किसी तरह आपराधिक मामले के बाद के दस्तावेज में, यह उल्लेख किया गया था कि मृतक प्रमोद दास मानिकपुरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर यात्रा कर रहा था, और इसलिए, आपराधिक मामले के परस्पर विरोधी

दस्तावेजों को और अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में की गई याचिका को ठोस सामग्री और सबूत पेश करके साबित करने की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने अंत में तर्क किया है कि अपीलकर्ता/बीमा कंपनी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले को प्रतिप्रेषित करने के बाद भी बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के विवाद्यक को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रही है और आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन किया है।

10. मैंने संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागणों को सुना और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया ।

11. प्रदर्श-पी/4 (देहाती नालिशी), जिसकी सूचना दिनांक 21/04/2010 को सुबह 6 बजे दी गई थी के अवलोकन से पता चलता है कि दुर्घटना सुबह 5 बजे हुई थी, इससे यह पता चलता है कि उक्त दस्तावेज़ में, सूचना देने वाले (सागर दास) ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मृतक ट्रैक्टर पर यात्रा कर रहा था।

12. प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2/दावेदारों ने मामले को साबित करने के लिए अपने समर्थन में तीन गवाहों का परीक्षण कराया है । प्रदर्श-पी/4 के सूचक सागर दास का परीक्षण एन. ए. डब्ल्यू-2 के रूप में कराया गया है, जिसने विशेष रूप से अपीलार्थी द्वारा न्यायालयीन कथन के कंडिका-6 में इस तथ्य के संबंध में दिए गए सुझाव का खंडन किया कि उसने थाना में सूचित किया था कि मृतक ट्रैक्टर में यात्रा कर रहा था। एक अन्य गवाह शिव कुमार ध्रुव (एन. ए. डब्ल्यू.-3) ने कहा कि एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की और अचानक ब्रेक लगाने के कारण ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गए और जो व्यक्ति रोक रहा था वह ट्रॉली के नीचे आ गया। वर्तमान मामले में, इस दुर्घटना में, केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और सबूतों से भी, यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति सड़क पर था, उसकी मृत्यु हो गई।

13. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सागर दास (एन. ए. डब्ल्यू.-2) एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था और दो अलग-अलग प्रतिवेदन हैं - एक देहाती नालिशी है

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और दूसरा अलग-अलग विवरण के साथ मर्ग सूचना है जिसमें भिन्न विवरण हैं और इसलिए, इन दस्तावेजों सहित सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद, मेरे विचार में, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी पर इस तथ्य को साबित करने का बोझ था कि दुर्घटना के समय मृतक ट्रैक्टर पर यात्रा कर रहा था, लेकिन अपीलकर्ता/बीमा कंपनी मामले को वापस करने के बाद भी ऐसा करने में विफल रही। प्रतिप्रेषण आदेश में, माननीय उच्च न्यायालय ने बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में एक विवाद्यक तैयार करने और उसके बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों और सामग्री को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों को अतिरिक्त विवाद्यक के संबंध में साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया। आदेश-पत्रकों के अवलोकन से यह पता चलता है कि इसके बाद संबंधित पक्षकारों के साक्ष्य को दिनांक 28/04/2012, 11/05/2012, 19/06/2012, 11/07/2012, 30/07/2012 को दर्ज करने के लिए मामला नियत किया गया था और अगली तारीख दिनांक 16/08/2012 दी गई थी। दिनांक 16/08/2012 को, दावेदारों के साथ-साथ प्रतिवादी क्रमांक 3- अपीलार्थी/बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने अपने साक्ष्य को समाप्त कर दिया और उसके बाद, दिनांक 21/08/2012 को अंतिम तर्क के लिए मामला नियत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. लेकिन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के विवाद्यक को साबित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कई तारीखें लेने के बाद भी, अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने अपने समर्थन में कोई गवाह या सबूत पेश नहीं किया है। मामले को प्रतिप्रेषित करने रिमांड का उद्देश्य अपीलार्थी को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में बनाए गए अतिरिक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए सबूत या गवाह पेश करने में सक्षम बनाना था क्योंकि उक्त विवाद्यक पहले तैयार नहीं किया गया था, लेकिन अपीलार्थी ने अतिरिक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए कोई सामग्री, सबूत या गवाह पेश नहीं किया था।

15. अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा जिस निर्णय का अवलंब लिया गया है वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त मामले में, वाहन के सवारों में से एक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें मृतक यात्रा कर रहा था, लेकिन यहाँ वर्तमान मामले में, देहातीनालिशी/प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई है जो न तो वाहन में सवार था और न ही घटना का चश्मदीद गवाह था और इसलिए, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा जिस निर्णय का अवलंब लिया गया है वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न है

16. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता/बीमा कंपनी को इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण के बाद बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के तथ्य को साबित करने के लिए गवाह और साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने के बाद भी, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी अपने मामले को साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत पेश करने में विफल रही और आगे यह कि सूचना देने वाला न तो कोई चश्मदीद गवाह था और न ही उल्लंघन करने वाले वाहन का स्वामी, मेरी सुविचारित राय में, विद्वान दावा अधिकरण आक्षेपित अधिनिर्णय पारित करने और प्रतिकर के भुगतान के लिए अपीलकर्ता/बीमा कंपनी पर दायित्व अधिरोपित करने में न्यायोचित था, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील ख़ारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

18. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही/-
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur